अंतरिम कार्यवाही दिनांक 20-02-2018

WIND DI

अनावेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई आवेदन पत्र पर से न्यायहित में दर्शित आधार पर प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

आवेदक / राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

अनावेदक / अभियुक्त नारायण सिंह द्वारा श्री एम.ए. यादव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / अभियुक्त नारायण सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने शेष अर्थदण्ड की राशि 10,000 / — रूपये रसीद कमांक 93, बुक कमांक 6886 पर जमा कराई गई।

आदेश पत्रिका दिनांक 26.09.07 के अनुसार प्रकरण में संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि जमा हो चुकी है और अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पूर्व से नियत तिथि निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस०के०गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड